<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

**<u>सिविल अपील सं. 2896/2009</u>**

राजाराम .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

जयप्रकाश सिंह एवं अन्य .....प्रत्यार्थी(गण)

## <u>निर्णय</u>

**<u>न्यायमूर्ति, नवीन सिन्हा</u>**

1- अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा वांछित द्वितीय अपील के अनुज्ञात आदेश से व्यथित है। उच्च न्यायालय ने अपील न्यायालय के आदेश, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी के अपील को अनुज्ञात किया था, को अपास्त कर दिया एवं साथ ही साथ अपीलार्थीगण के वाद को भी अपास्त कर दिया।

2- वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 भाई है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 की पत्नी थी। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 तक मृतक प्रतिवादी सं.1 के पुत्र है। मूल वादी सं. 2 एवं अन्य भाई अपील न करने का चयन किये हैं। वादी गण ने आरोप लगाया कि मूल प्रतिवादी ने दिनांक 02.03.1970 को उनके पिता वैजई, जो कि मृतक है, जो बचाव पक्ष के साथ रहते थे, वृद्धावस्था एवं कमजोरी के कारण कपटपूर्वक धोखा देकर एवं अनुचित प्रभाव डालकर बचाव सं. 1 के

.....

<u>*उद्घोषणा*</u>

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

पक्ष में विक्रय विलेख को प्राप्त कर लिया और वाद को खारिज कर दिया गया था। अपील न्यायालय ने यह धारित करते हुए कि प्रतिवादीगण अनुचित प्रभाव डालकर मृतक की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने के अपने भार को निर्वहन करने में असफल थे, अपील को मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय के अपील को सुरक्षित कर लिया एवं वाद के निरस्तीकरण को बहाल कर दिया।

3- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मृतक पिछले लगभग 8 से 10 साल तक वृद्ध, दुर्बल, शय्याग्रस्त और बीमार था। उसकी मानसिक स्थिति भी क्षीण थी अत: वह पूर्ण रूप से मूलप्रतिवादियों पर निर्भर था जो कि इसीलिए उसपर असम्यक् असर का प्रयोग करने की स्थिति में थे। मृतक का विक्रय विलेख के निष्पादन के 10 महीने के भीतर 21.04.1971 को निधन हो गया। विक्रय विलेख के साक्षी प्रतिवादी सं. 2 से सम्बंधित थे। यह स्थापित नहीं किया गया कि पूरा प्रतिफल चुका दिया गया था। प्रतिवादी सं. 1 के पास क्रय मूल्य चुकाने का कोई स्रोत नहीं था। मृतक की पत्नी का साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रतिवादी ने उप पंजीयक के साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जिसने विक्रय विलेख को पंजीकृत किया था। मृतक ने वर्ष 1968 में किसी भी व्यक्ति को भूमि की बिक्री नहीं की थी जैसा की प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिया गया।

4- प्रत्यार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया असम्यक् असर साबित करने का प्रारम्भिक भार वादी पर होता है। और उसके बाद ही यह भार उन पर स्थानान्तरित होता है। इस संबध में आवश्यक अभिवचन पूर्णतया नामौजूद थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि पूर्वक यह भार प्रत्यार्थी गण पर स्थानान्तरित कर दिया। मृतक वृद्ध एवं बीमार रहा होगा किन्तु मानसिक क्षमता इतनी क्षीण नहीं थी कि वह स्वयं द्वारा निष्पादित प्रलेखों की प्रकृति को न जान सके। वह विलेख के निष्पादन के लगभग 10 महीने के बाद तक जीवित रहा लेकिन इसे कभी भी प्रश्नगत नहीं



*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

किया। मृतक ने 2 वर्ष पहले 1968 में प्रदर्श सं.10 के रूप में अन्य लोगों के पक्ष में एक दूसरा विक्रय विलेख निष्पादित किया था। जिसे प्रत्यार्थी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया गया। इससे यह साबित होता है कि मृतक ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसके ऊपर असम्यक् असर डाला जा सके। अत: केवल उसकी वयोवृद्ध उम्र के आधार पर उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रतिवादी साक्षी सं.1 विक्रय विलेख का साक्षी था और वह पंजीकरण के समय उपस्थित था। मृतक ने उप पंजीयक के समक्ष 2000 रू. पहले प्राप्त होना स्वीकार किया है और 4000 रू. पंजीकरण के समय दिया गया था।

5- वाद में उपरोक्त कथन का समर्थन Anil Rishi vs. Gurbaksh Singh, (2006) 5 SSC 558, Jamila Begum (D) thr. L.Rs. vs. Shami Mohd. (D) thr. L.Rs. and ors., (2019) 2 SSC 727, Bishundeo Narain and ors. vs. Seogeni Rai and Jagernath, 1951 SCR 548, Subhas Chandra Das Mushib vs. Ganga Prosad Das Mushib and ors., 1967 (1) SCR 331 and Krishna Mohan Kul alias Nani Charan Kul and anr. vs. Patima Maity and ors., (2004) 9 SCC 468. मामलों पर आधारित था।

6- हमने पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया। हमारे विचार का मुख्य बिन्दु मृतक की शारीरिक स्थित तथा उसकी विक्रय विलेख के निष्पादन की क्षमता है। हमारे विचार का दूसरा बिन्दु यह है कि क्या मूल प्रतिवादीगण सं.1 और 2 मृतक के वृद्धावस्था एवं शारीरिक अक्षमता के कारण विक्रय विलेख प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में निष्पादित कराने के लिए मृतक पर असम्यक् असर डाला।

7- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 में 'स्वतंत्र सहमति' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है-

"14. 'स्वतंत्र सहमति' परिभाषा - सहमति तभी स्वतंत्र कही जायेगी जब वह-

1-xxxxxxxxxxx

2-असम्यक् असर, जैसा कि धारा 16 में परिभाषित है, से प्रभावित ना हो।"

.....

*उद्घोषणा*

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

धारा 16 'असम्यक् असर' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है....

"16. 'असम्यक् असर' की परिभाषा-

1- संविदा असम्यक् असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ कि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अक्रुजु फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है।

2- विशिष्टता और पूर्ववर्ती सिद्धान्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जबकि वह -

(क) उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है, या उस अन्य के साथ वैश्वासिक सम्बन्ध की स्थिति में है; अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है।

3- जहाँ कि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है; और वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्माविरूद्ध प्रतीत होता है वहाँ यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी, उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था।

इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 111 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

.....

8- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 111 सद्भाव को इस रूप में व्याख्यायित करती है–

"111. उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना, जिसमें एक पक्षकार का संबध सक्रिय विश्वास का है- जहाँ कि उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें से एक-दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है वहां, उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।

9- मृतक निर्विवाद 80 वर्ष से अधिक आयु का था। वादी ने तर्क दिया कि उम्र और बीमारी के कारण, मृतक मोतियाबिंद के कारण बिगड़ती दृष्टि के साथ, चलने और फिरने में असमर्थ था। मृतक की मानसिक क्षमता क्षीण थी। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित The Advanced Law Lexicon (तृतीय संस्करण, पुर्नमुद्रण 2009), में मनुष्य के सम्बन्ध में दुर्बलता को शरीर के किसी कार्य का पूर्ण या आंशिक ह्रास, शरीर के किसी हिस्से का पूर्ण या आंशिक ह्रास, शरीर के किसी हिस्से के खराबी और शरीर के किसी हिस्से की खराबी या विरूपता के रूप में परिभाषित किया गया है। वादपत्र में सरल कथन के सिवाय कि मृतक मानसिक रूप से दुर्बल था, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में और कोई साक्ष्य नहीं है। केवल इस संबन्ध में उसकी वयोवृद्ध उम्र का बुढ़ापे या पागलपन के द्वारा मानसिक क्षमताओं के पूर्ण ह्रास के तुल्य होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। उम्र बढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को अलग-अलग उम्र में अलग-अलग ढंग से प्रभावित करती है। दो साल पहले 1968 में बाबू राम तथा मुन्शी लाल के पक्ष में मृतक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख इस आधार पर अपीलकर्ता द्वारा नहीं प्रश्नगत किया गया कि मानसिक दुर्बलता के कारण मृतक तर्कशक्ति से रहित था। इन दो वर्षों में मृतक की स्थिति में तेजी से गिरावट का कोई सबूत नहीं है।

*उद्घोषणा*

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

10- अपनी अधिक उम्र के कारण मृतक बूढ़ा एंव अक्षम व कमजोर नेत्र ज्योति वाला और चलने फिरने में असमर्थ रहा होगा लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि वह शैय्याग्रस्त था। वृद्धावस्था के कारण सुनने में आने वाली कठिनाई की समानता बहरेपन से नहीं की जा सकती। मृतक का बेटा होने के बावजूद वादी ने सरल बयान को छोड़कर, अपने बयान के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि मृतक पंजीकरण के लिए उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित हुआ। यह वादी के पूरे मामले को बेबुनियाद ठहरता है कि वादी शैय्याग्रस्त था। उन्होंने उप पंजीयक के सामने अपने अंगूठे का छाप, बिक्री विलेख को पढ़े जाने और समझने के बाद लगाया था। मृतक ने उप पंजीयक के समक्ष सम्पूर्ण विवेचना की प्राप्ति की स्वीकृति दी जिसके बाद विलेख निष्पादित और पंजीकृत किया गया था। मृतक की पत्नी उसके साथ कार्यालय गई थी। विक्रय विलेख एक पंजीकृत पत्रलेख होने के कारण प्रतिवादी के पक्ष में एक उपधारणा की जायेगी। खण्डन का दायित्व वादी पर होता है जिसका निर्वहन उसने नहीं किया। वादी साक्ष्य सं.2 और वादी साक्ष्य सं.3 की मूल प्रतिवादी सं.2 से रंजिश होने की जानकारी के बावजूद इन दोनों साक्षियों पर विश्वास करके और यह मानकर कि वह दोनों स्वतंत्र साक्षी है और उनकी बात मानने योग्य है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलती की है। प्रतिवादी साक्ष्य सं.1 यद्यपि सम्बंधित था फिर भी विक्रय विलेख का साक्षी था। घटनाक्रम के समर्थन में उप पंजीयक के समक्ष उसका साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए। वादी खण्डन में उप पंजीयक के खण्डन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

11. वह हमें असम्यक प्रभाव के प्रश्न की ओर ले जाता है। वाद के अभिवचन में मूल प्रतिवादी द्वारा मृतक पर डाले गये असम्यक असर की प्रकृति, तरीके या प्रकार के सम्बंध में किसी विवरण या परिस्थितियों का अभाव है। मृतक की अक्षमता के हवाले एक सरल कथन किया गया है।



*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

हमने पहले ही यह माना है कि मृतक शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः अक्षम नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल प्रतिवादीगण मृतक से विश्वासाश्रित रूप से संबंधित थे। वृद्धावस्था में मृतक एवं उसकी पत्नी की देखभाल करने के उनके आचरण ने मृतक की सोच प्रभावित किया होगा। लेकिन इसके अनुरूप एकमात्र बेलाग निष्कर्ष नहीं निकलता कि मूल प्रतिवादीगण मृतक की इच्छा अधिशासित करने की स्थिति में थे या निष्पादित विक्रय विलेख अविवेकपूर्ण था। अनिल सिंह बनाम गुरुबक्श सिंह (उपर्युक्त) के मामले में यथा अवधारित संविदा अधिनियम की धारा-16 सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 के अनुसार वादी के प्रथम दृष्टया वाद स्थापित करने के बाद ही भार मूल प्रतिवादीगण पर स्थानान्तरित होगा। मृतक की पत्नी उसके साथ रह रही थी और उप-पंजीयक के कार्यालय तक उसके साथ गयी थी। वादी ने ऐसा कोई अभिवचन या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि मृतक की पत्नी भी मूल प्रतिवादियों द्वारा पूर्णत: अधिशासित थी। प्रत्येक जाति धर्म, सम्प्रदाय एवं सभ्य समाज में बड़ों की देखभाल करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। लेकिन आज यह गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इसे ध्यान में रखकर संसद ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' अधिनियमित किया है। बदलते समय एवं सामाजिक नैतिकता के दौर में हमारा सुचिन्तित विचार है कि केवल इस आधार पर असम्यक् असर का सीधा निष्कर्ष निकालना कि कोई भाई-बहन परिवार के बड़े-बुजुर्ग की देखभाल कर रहा था, एक अतिवादी उपधारणा  है जो पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में टिक नहीं सकती। जो बड़ों की देखभाल कर रहे थे उनके द्वारा असम्यक् असर डाला जाना मानकर विपरीत साक्ष्य का भार देकर किया गया निर्वचन बहुत अवांछित परिणाम दे सकता है। इससे आवश्यक रूप से अनदेखी ही नहीं होगी, वरन् सन्देह और संशय का वातावरण बनेगा जिसमें असम्यक् प्रभाव डालने के आरोप के भय से पूरी व सही देखभाल भी नहीं हो पाएगी। विधि और जीवन साथ-साथ चलते हैं। यदि परिवार के कुछ

*उद्घोषणा*

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी  संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

सदस्य बड़ों की देखभाल कर रहें हैं और अन्य स्वेच्छा या पेशेगत मजबूरी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, ऐसे में परिवार के बड़ो व उन लोगों के बीच जो उनकी दैनन्दिक देखभाल कर रहे हैं, अधिक प्रगाढ़ता होगी ही।

12- विष्णुदेव नारायण (उपर्युक्त) के मामले में यह पाया गया कि :

"आगे हम असम्यक असर एवं प्रपीड़न के प्रश्न पर पहुँचते हैं। अब यह ध्यान देना होगा कि ये अलग-अलग अभिवाक् नहीं किए गये हैं। यह सत्य है कि कुछ मामलों में कुछ हिस्सों में ये अतिव्याप्ति(मिले हुए) हो सकते हैं लेकिन ये विधिशास्त्र में पृथक एवं पृथक्करणीय कोटियां हैं और इनका पृथक-पृथक अभिवाक् किया जाना चाहिए।

इस पर भी ध्यान देना होगा कि कोई भी सम्यक् विवरण नहीं दर्शाया गया है। ऐसे में यदि कोई एक नियम जो दूसरों से अधिक मूल्यवान है तो यह है कि कपट, असम्यक् असर और प्रपीड़न के मामलों में अभिवाक् करने वाले पक्ष पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें और मामले का अभिनिर्धारण ऐसे विशिष्टताओं के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में साक्ष्य से कोई अलगाव नहीं हो सकता। सामान्य आरोप कपट प्रकथन में भी अपर्याप्त हैं, जिसपर कि किसी न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, फिर चाहे उसे लगाने वाली भाषा कितनी भी सशक्त क्यों न हो। यही असम्यक् असर और प्रपीडन के मामले में भी लागू होता है।"

13- सुभाष चन्द्र(उपर्युक्त) के मामले में प्रभाव एवं असम्यक् प्रभाव में अन्तर करते हुए कहा गया:

"यह भी ध्यातब्य है कि पक्षों के एक दूसरे से निकट रूप से सम्बंधित होने के कारण असम्यक् प्रभाव की उपधारणा उत्पन्न नहीं होती, जैसा कि Poosathurai vs. Kappanna Chettiar and others 47 I.A.P.1 के मामले में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति द्वारा उल्लेखित किया गया हैं- "असम्यक् प्रभाव का ऐसे पक्षकारों के सम्बन्धों के साक्ष्य

द्वारा प्रमाणित मान लेना जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर प्राकृतिक रूप से निर्भर था, और दूसरा इसे देने में पहले व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था, एक गलती है जिसके कई चिन्ह इन कार्यवाहियों में हैं। उस बिन्दु तक केवल प्रभाव ही किया गया है। ऐसा प्रभाव का बुद्धिमत्तापूर्ण, न्यायपूर्ण एवं सहायतापूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है। चाहे भारतीय या इंग्लैण्ड के कानून द्वारा प्रभाव को विधि की भाषा में 'असम्यक्' होने के लिए प्रभाव से कुछ अधिक सिद्ध किया जाना चाहिए।

14- सुभाष चन्द्र (उपर्युक्त) के मामले में यह आगे पाया गया कि प्रदाता के बूढ़े व कमजोर होने के कारण अधिरोपण की कोई उपधारणा नहीं थी। केवल निकट संबंध भी असम्यक् प्रभाव की उपधारणा के लिए अपर्याप्त था. यह कहते हुए कि :

"यह परीक्षण करने के लिए कि क्या असम्यक प्रभाव डाला गया या नहीं, न्यायालय जाने से पहले, अभिवचन की, यह जानने के लिए कि क्या ऐसा कोई वाद किया गया है, और यह कि कपट के मामले की तरह असम्यक प्रभाव का पूर्ण विवरण दिया गया है, छानबीन की जानी चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 4 देखें। उपरोक्त संदर्भित लाडली प्रसाद जायसवाल (1964) 1 SCR 270 के मामले में अभिवचन के इस आयाम को अधिक महत्व दिया गया। इस मामले में यह पाया गया कि (पृ. 295):

"एक सामान्य या अस्पष्ट अभिवचन कभी भी उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता अभिवचन करने वाले पक्ष से डाले गये प्रभाव की सटीक प्रकृति, प्रभाव का तरीका तथा अन्य से अर्जित असम्यक लाभ अभिवचन करने की अपेक्षा होनी चाहिए।"

*उद्घोषणा*

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

15. कृष्णा मोहन (उपर्युक्त) का मामला अपने तथ्य के आधार पर अलग है। निष्पादक निर्विवाद रूप से 100 वर्ष से ऊपर की आयु का था। साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि वह पैरासिटिक और लगभग शय्याग्रस्त था। कोई भी साक्षी यह सिद्ध नहीं कर सका कि निष्पादक ने अपना अगूंठा लगाया था।

16. मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों को समझने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूर्णतः भूल की। किसी मामले में तथ्य रहित विधि का कोई आवेदन नहीं हो सकता। किसी विधि का प्राथमिक अवयव प्रासंगिक तथ्यों से समर्थित सम्यक अधिवचन द्वारा स्थापित होना चाहिए। मामलों का अभिनिर्धारण धारणाओं या उपधारणाओं के आधार पर नहीं हो सकता। हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामला संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत चतुर्थ अपील न्यायालय के रुप में विवेकीय क्षेत्राधिकार की प्रयोग की आवश्यकता है। प्रीतम सिंह (उपर्युक्त) के मामले में यह पाया गया :

"9. ...सामान्यतया यह न्यायालय विशेष अनुमति नहीं देगी जब तक कि यह दर्शित न किया जाय कि विशेष एवं अपवादस्वरूप परिस्थितियां विद्यमान हैं, कि भारी अन्याय हुआ है और प्रश्नगत मामले में विरुद्ध अपील किये गये निर्णय की समीक्षा को आवश्यक बनाने वाले पर्याप्त गुरुता वाले लक्षण मौजूद हैं। चूंकि यह मामला हमारे मत से ऐसी कोई भी शर्त पूरी नहीं करता, हम उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह अपील खारिज की जानी चाहिए।"

17- मामले पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् हमें दो न्यायालयों द्वारा पहुंचे समवेत निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। अपील निरस्त की जाती है। व्यय का कोई आदेश नहीं होगा।

.....

*उद्घोषणा*

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

.....

न्यायमूर्ति, श्री नवीन सिन्हा

---

न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी

नई दिल्ली
सितम्बर 11, 2019

.....

***उद्घोषणा***

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*